न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान फुसाराम आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 34 / 2025
निर्णय दिनांक ....18/6/2025...

1. फुसाराम पुत्र मनशा राम जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. रणजीत पुत्र मनशा राम जाति जाट निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर.टी. एक्ट 88, धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक सिहाग साहवा (वकील वादी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा कैलाश पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता सं. 124 खसरा सं. 456/74 तादादी 10.1539, हैक्ट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा कैलाश पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर में वादीगण का नाम फुसाराम पुत्र मनशा राम व रणजीत पुत्र मनशा राम की जगह फुसाराम पुत्र मुन्शीराम व रणजीत पुत्र मुन्शीराम गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे जनाआधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में सही नाम फुसाराम पुत्र मनशा राम व रणजीत पुत्र मनशा राम है। वादीगण का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण वादीगण को उक्त कृषिभूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने व अन्य कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा कैलाश पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता सं. 124 खसरा सं. 456/74 तादादी 10.1539, हैक्ट में वादी का नाम फुसाराम पुत्र मनशा राम व. रणजीत पुत्र मनशा राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीगण का नाम फुसाराम पुत्र मनशा राम व रणजीत पुत्र मनशा राम व फुसाराम पुत्र मुन्शीराम व रणजीत पुत्र मुन्शीराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे जनाआधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादीगण का नाम फुसाराम पुत्र मनशा राम व रणजीत पुत्र मनशा राम पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज जनाआधार
कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादीगण का नाम फुसाराम पुत्र मनशा राम व
रणजीत पुत्र मनशा राम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम फुसाराम पुत्र मुन्शीराम व रणजीत
पुत्र मुन्शीराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किय
जाता है तथा कृषि भूमि रोही कैलाश पटवार हल्का नेठवा तहसील तारानगर के खाता सं. 124 खसरा स
456/74 तादादी 10.1539, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण का नाम **फुसाराम पुत्र मुन्शीराम व रणजी**
पुत्र मुन्शीराम Delete कर इसके स्थान पर **फुसाराम पुत्र मनशा राम व रणजीत पुत्र मनशा राम** अंकित क
राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का य
निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जा
पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....18/6/2025. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)